रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-IV, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

सतर्कता प्रभाग

सं. आरईसी/सतर्कता/3/81/96/एमओपी/334 **दिनांक 6 फरवरी, 2004**

परिपत्र सं. 2/2004

यह नोट किया गया है कि तिमाही समाप्त होने के बाद अगले माह की 4 तारीख तक विभागीय अधिकारियों द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही निरीक्षण रिपोर्ट सतर्कता प्रभाग में समय पर प्राप्त नहीं हो रही है। कुछ मामलों में रिपोर्टें तिमाही समाप्त होने के बाद अगले माह में प्राप्त होती हैं तथा कुछ मामलों में दो तिमाहियों की रिपोर्टें एक साथ भेजी जाती हे। इससे यह पता चलता है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी की ओर से अपने संबंधित विभागों का निरीक्षण करने वाले विभागीय अधिकारी इस कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ।

यहां यह सूचित करना आवश्यक है कि आपसे प्राप्त होने वाली सूचना को सतर्कता प्रभाग द्वारा संकलित किया जाता है और उसे तिमाही आधार पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग और विद्युत मंत्रालय को भेजा जाता है। सूचना देने में विलम्ब करने या उसे रोककर रखने से न केवल केन्द्रीय सतर्कता आयोग और विद्युत मंत्रालय को गलत सूचना मिलती है बल्कि इस विषय पर अनुदेशों का अनुपालन न कर पाने के कारण सूचना भेजने वाले अधिकारी के खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग और विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना को रोक रखने/उसे भेजने में विलम्ब करने को सक्षम प्राधिकारी ने एक गंभीर चूक माना है और इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों अर्थात् कारपोरेट कार्यालय में विभागाध्यक्षों एवं अपर निदेशक, सायर सहित मुख्य परियोजना प्रबंधकों को पुनः सलाह दी जाती है कि सूचना समय पर भेजें ।

ह0/-

(वी.के.शर्मा)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रति प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी के सहायक निदेशक
2. कार्यकारी निदेशक, आरईसी के सहायक निदेशक
3. सभी महाप्रबंधक/मुख्याधिकारी, कारपोरेट कार्यालय, आरईसी
4. अपर निदेशक, सायर, हैदराबाद
5. सभी मुख्य परियोजना प्रबंधक, आरईसी परियोजना कार्यालय
6. सभी संयुक्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी, कारपोरेट कार्यालय, आरईसी
7. मास्टर फाइल/फोल्डर/कार्यालय प्रति